फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

विनोद कुमार खटीक **बनाम** मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 भरतपुर

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 52 सन् 22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
29.06.2022	प्रार्थी/अपीलान्ट विनोद कुमार खटी, देव आर्शीवाद, मारू दरवाजा बाहर, आमेट, पोस्ट चारभुजा रोड, जिला राजसमंद ने आर टी आई के तहत यह अपील मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो। जिला कलक्टर, भरतपुर (राज.)	